भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 879

07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयोडीन की कमी

879. श्री हरीभाई पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) सरकार द्वारा आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए जनवरी, 2022 से क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) सरकार द्वारा आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों और इसके लिए निवारक उपायों के संबंध में जागरूकतापैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
(ग) वर्ष 2021 से आयोडीन की कमी से पीड़ित व्यक्तियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(घ) आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए जनवरी, 2021 से कितनी धनराशि आबंटित, संवितरित और उपयोग कीगई है; और
(ङ) क्या सरकार आयोडीन की कमी से निपटने के लिए राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईडीडीसीपी) के घटकों का विस्तार करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): एनआईडीडीसीपी (राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक केन्द्र प्रायोजित योजना है।यह कार्यक्रम सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समस्त जनसंख्या के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।इस कार्यक्रम में सभी आयोडीन अल्पता विकार (आईडीडी) जैसे मानसिक और शारीरिक मंदता, मूक-बधिरता, बौनापन, मृत जन्म, गर्भपात आदि को शामिल किया गया है,

जिसका उद्देश्य देश में आईडीडी की व्यापतता को 5% से नीचे लाना और घरेलू स्तर पर पर्याप्त आयोडीन युक्त नमक (15 पीपीएम) का 100% उपभोग सुनिश्चित करना है।

सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों कोरेडियो/टीवी स्पॉट, वीडियो फिल्म, का वितरण, पैम्फलेट का निर्माण और वितरण तथा आईडीडी अभिव्यक्ति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाले पोस्टर सहित एक संचार पैकेज तैयार किया गया है।वैश्विक आईडीडी रोकथाम दिवस हर वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है।इसके अलावा, जनसाधारण के बीच आयोडीन युक्त नमक के उपभोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गीत एवं नाटक प्रभाग, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), दूरदर्शन और आकाशवाणी (एआईआर) के समन्वय से आईईसी कार्यकलापों को भी बढ़ावा दिया गया है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण V (2019-2021) में स्व-रिपोर्ट किए गए घेंघा या थायरॉयड विकार की व्यापतता 2.9% थी।

वित्त वर्ष 2020-21**से वित्त वर्ष** 2024-25**तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियों का विवरण** अनुलग्नक **में दिया गया है।**

दिनांक 07.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 879 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियों का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*	
		व्यय	व्यय	व्यय	व्यय	एसपीआईपीअनुमोदन	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.34	0.47	0.18	0.26	6.17	0.00
2	आंध्र प्रदेश	4.25	5.75	12.20	25.50	77.08	2.44
3	अरुणाचल प्रदेश	64.31	32.28	23.90	0.85	31.80	21.28
4	असम	124.95	50.72	106.24	103.18	73.89	51.55
5	बिहार	18.10	59.92	3.04	10.75	18.90	3.53
6	चंडीगढ़	0.00	0.27	1.01	1.90	3.43	0.91
7	छत्तीसगढ़	32.09	9.97	12.66	7.29	31.25	0.84
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	13.44	8.38	0.74	2.23	3.76	0.23
9	दिल्ली	0.00	0.04	3.34	0.34	0.00	0.00
10	गोवा	10.31	11.25	0.00	0.95	6.28	20.45
11	गुजरात	0.00	35.26	11.52	29.80	177.67	5.05
12	हरियाणा	0.00	1.26	13.40	11.59	51.73	7.19
13	हिमाचल प्रदेश	29.39	23.45	10.57	2.32	60.56	31.82
14	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	6.54	11.41	84.67	16.74
15	झारखंड	44.95	31.98	47.24	73.71	93.19	11.52
16	कर्नाटक	43.87	51.10	56.87	70.34	42.88	20.15
17	केरल	0.71	3.21	5.59	1.38	23.10	1.42

18	लक्षद्वीप	2.82	0.01	0.01	0.00	2.00	0.12
19	मध्य प्रदेश	83.22	49.17	98.28	87.15	122.77	67.92
20	महाराष्ट्र	3.56	2.13	28.35	86.86	226.24	104.77
21	मणिपुर	14.71	11.13	13.14	9.52	35.47	16.37
22	मेघालय	13.77	1.79	5.87	0.58	3.02	1.84
23	मिजोरम	2.99	0.99	0.00	0.50	15.73	1.70
24	नागालैंड	5.49	9.56	16.84	17.29	17.99	13.00
25	उड़ीसा	4.99	9.94	17.19	18.22	61.67	12.53
26	पुदुचेरी	0.00	0.45	1.94	1.85	3.17	1.81
27	पंजाब	0.08	6.40	1.87	38.18	49.52	6.30
28	राजस्थान	1.65	26.50	10.76	14.40	50.68	3.06
29	सिक्किम	0.00	0.00	7.03	7.65	14.58	7.69
30	तमिलनाडु	9.48	232.74	2.76	3.46	10.56	3.79
31	तेलंगाना	0.00	42.09	50.49	50.07	112.74	0.00
32	त्रिपुरा	2.86	3.42	2.88	2.79	27.00	2.23
33	उत्तर प्रदेश	30.73	26.22	36.44	148.85	385.96	53.20
34	उत्तराखंड	38.25	2.45	3.83	6.24	12.84	2.84
35	पश्चिम बंगाल	42.36	63.76	109.40	126.68	155.12	137.08
36	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	7.82	1.50	0.75

टिप्पणी:

1. राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) अनुमोदन और व्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार है और अनंतिम है।
2. व्यय में वर्ष की शुरुआत में केंद्रीय निर्गम, राज्य निर्गम और अव्ययित शेष राशि की तुलना में किया गया व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है। दिनांक 31.12.2024 तक आरसीएचआदि के लिए(वित्त वर्ष 2024-25 के लिए) लचीले पूल के संबंध में व्यय गुजरात, हरियाणा, लक्षद्वीप, मणिपुर और तमिलनाडु को छोड़कर अद्यतन किया गया है। (दिनांक 30.11.2024 तक अद्यतन)

*****